

ई-किसान भवन के निर्माण का मुख्य उद्देश्य

Dated **15.02.2017**



राज्य के कृषि के समग्र विकास के लिये कृषि रोड मैप का कार्यान्वयन किया जा रहा है। कृषि रोड मैप के आठवें अध्याय में ई—किसान भवन की योजना शामिल है। इस योजना का उद्देश्य प्रखण्ड स्तर पर कृषि संबंधी उपादानों एवं तकनीकी सेवाओं को एकल खिड़की से प्रदान करना है। तदनुसार ई—किसान भवन निम्नांकित सुविधाओं से मुक्त होगा :—

- (क) किसान सूचना एवं सलाहकार केन्द्र
- (ख) मिट्टी जाँच प्रयोगशाला
- (ग) प्रशिक्षण केन्द्र
- (घ) विश्रामालय
- (ङ) पौधा संरक्षण केन्द्र
- (च) सूचना तकनीक एवं विपणन आसूचना केन्द्र
- (छ) कृषि यंत्र अधिकोष (भाड़े पर उपलब्ध कराने हेतु)
- (ज) प्रशासनिक परिसर (प्रखण्ड स्तरीय कृषि विकास पदाधिकारी का कार्यालय)

ई—किसान भवन इन्टरनेट सुविधा के साथ कृषि विभाग के एक बड़े सूचना तंत्र के साथ जुड़ा रहेगा एवं किसान मौसम एवं अन्य जानकारियों को यहाँ से सीधे प्राप्त कर सकते हैं। ई—किसान भवन की स्थापना के फलस्वरूप प्रखंड स्तर पर कृषि संबंधी समग्र सेवायें एक ही बिन्दु से दी जा सकेंगी जिससे किसानों को विश्वसनीय तरीके से उपादानों एवं सेवाओं की सुनिश्चित व्यवस्था होगी जिससे कृषि उत्पादन एवं किसनों के आय में वृद्धि होगी।

ई—किसान भवन में कतिपय सेवा जैसे मिट्टी जाँच सुविधा पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशीप के आधार पर संचालित होगी जिनसे बेरोजगार लोगों के लिए उत्पादक रोजगार का सूजन होगा।

उपलब्धियाँ

ई—किसान भवन के निर्माण की स्वीकृति दो चरणों में की गयी है।

पहले चरण में 324 एवं दूसरे चरण में 210 कुल 534 ई—किसान भवन का निर्माण की स्वीकृति दी गयी। जिसमें से 371 ई—किसान भवन राज्य के विभिन्न जिलों के विभिन्न प्रखण्डों में निर्मित हो चुका है। निर्मित ई—किसान भवन में 314 ई—किसान भवन हस्तगत हो चुके हैं जिसमें से 235 प्रखण्डों में ई—किसान भवन पूर्णतः क्रियाशील है। जहाँ प्रखण्ड कृषि पदाधिकारियों का कार्यालय स्थापित हो चुका है जिससे संबंधित प्रखण्डों के किसान लाभान्वित हो रहे हैं।

कठिनाईयाँ

ई—किसान भवन के निर्माण हेतु निम्नलिखित जिलों के 58 प्रखण्डों में जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण निर्माण कार्य नहीं कराया जा सका है। जमीन की उपलब्धता हेतु कृषि उत्पादन आयुक्त/प्रधान सचिव, कृषि के द्वारा संबंधित जिलों के जिला पदाधिकारियों को भूमि उपलब्ध कराने हेतु पत्र दिये गये हैं।

ई—किसान भवन के सुचारू रूप से कार्यरत करने हेतु आई.टी., कृषि के माध्यम से कार्रवाई की जा रही है।

ई—किसान भवन में पर्याप्त कार्मिकों की कमी है साथ ही कम्प्युटर से संबंधित कार्यों को करने हेतु विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं हैं।

ई-किसान भवन का प्रगति प्रतिवेदन का सारांश :-

| वित्तीय वर्ष | कुल स्वीकृति की संख्या | कार्यान्वयन एजेन्सी | पूर्ण की संख्या | कार्य प्रगति में | अभ्युक्ति |
|----------------------------|------------------------|---|-----------------|---|--|
| 2008–09 से 2010–11 तक | 324 | जिला पदाधिकारी द्वारा चयनित कार्यान्वयन एजेन्सी | 283 | 25 प्रखण्डों में कार्य फिनिशिंग स्तर पर | वर्ष 2008–09 से 2010–11 तक में कुल 16 प्रखण्डों में जमीन उपलब्ध नहीं है। |
| वर्ष 2012–13 से 2015–16 तक | 210 | योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना | 88 | 80 | वर्ष 2012–13 से 2015–16 तक में कुल 42 प्रखण्डों में जमीन उपलब्ध नहीं है। |
| कुल योग :- | 534 | | 371 | 105 | 58 |

जिला / प्रखंडवार ई-किसान भवन की अद्यतन स्थिति

| क्र० सं० | जिला का नाम | स्वीकृत ई-किसान भवन की संख्या | पूर्ण ई-किसान भवन की संख्या | भूमि उपलब्ध नहीं होने की संख्या | उपस्कर की सुविधा वाले प्रखंडों की संख्या | जिलावार अपूर्ण ई-भवनों की संख्या |
|----------|-------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | पटना | 23 | 15 | 8 | 8 | 8 |
| 2 | नालन्दा | 20 | 15 | 0 | 10 | 5 |
| 3 | भोजपुर | 14 | 12 | 0 | 9 | 2 |
| 4 | रोहतास | 19 | 11 | 1 | 6 | 8 |
| 5 | बक्सर | 11 | 6 | 3 | 5 | 5 |
| 6 | कैमूर | 11 | 11 | 0 | 6 | 0 |
| 7 | गया | 24 | 16 | 2 | 6 | 8 |
| 8 | नवादा | 14 | 5 | 3 | 4 | 9 |
| 9 | ओरंगाबाद | 11 | 11 | 0 | 5 | 0 |
| 10 | जहानाबाद | 7 | 6 | 0 | 4 | 1 |
| 11 | अरवल | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 12 | सारण | 20 | 12 | 4 | 3 | 8 |
| 13 | सिवान | 19 | 10 | 4 | 5 | 9 |

| | | | | | | |
|----|----------------|----|----|---|----|----|
| 14 | गोपालगंज | 14 | 10 | 1 | 3 | 4 |
| 15 | मुजफ्फरपुर | 16 | 11 | 0 | 4 | 5 |
| 16 | सीतामढ़ी | 17 | 10 | 3 | 2 | 7 |
| 17 | वैशाली | 16 | 10 | 1 | 2 | 6 |
| 18 | पूर्वी चम्पारण | 27 | 12 | 3 | 6 | 15 |
| 19 | प० चम्पारण | 18 | 16 | 0 | 5 | 2 |
| 20 | शिवहर | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 21 | दरभंगा | 18 | 11 | 4 | 5 | 7 |
| 22 | मधुबनी | 21 | 13 | 1 | 8 | 8 |
| 23 | समस्तीपुर | 20 | 16 | 3 | 10 | 4 |
| 24 | बेगुसराय | 18 | 12 | 4 | 9 | 6 |
| 25 | सहरसा | 10 | 6 | 3 | 5 | 4 |
| 26 | सुपौल | 11 | 8 | 1 | 8 | 3 |
| 27 | मधेपुरा | 13 | 11 | 0 | 5 | 2 |

| | | | | | | |
|--------|-----------|-----|-----|----|-----|-----|
| 28 | खगड़िया | 7 | 6 | 1 | 5 | 1 |
| 29 | पूर्णियाँ | 14 | 13 | 1 | 8 | 1 |
| 30 | अररिया | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| 31 | किशनगंज | 7 | 4 | 0 | 3 | 3 |
| 32 | कटिहार | 16 | 15 | 0 | 4 | 1 |
| 33 | भागलपुर | 16 | 9 | 1 | 4 | 7 |
| 34 | बाँका | 11 | 7 | 1 | 4 | 4 |
| 35 | मुंगेर | 9 | 6 | 2 | 4 | 3 |
| 36 | लखीसराय | 7 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| 37 | जमुई | 10 | 9 | 1 | 5 | 1 |
| 38 | शेखपुरा | 6 | 5 | 0 | 5 | 1 |
| कुल :— | | 534 | 371 | 58 | 203 | 163 |

ई-किसान भवन में अन्य विभागों द्वारा कब्जा से सम्बंधित प्रखंड :—

| क्र०सं० | जिला का नाम | प्रखंड का नाम | जिनके द्वारा कब्जा किया गया है |
|---------|----------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | भोजपुर | आरा | जिला निर्वाचन कार्यालय । |
| 2 | बक्सर | ब्रह्मपुर | अंचलाधिकारी का कार्यालय । |
| 3 | कैमूर | चैनपुर, भगवानपुर, रामपुर | एन०जी०ओ० अंचलाधिकारी का कार्यालय |
| 4 | गया | इमामगंज, आमस | CRPF का कब्जा । |
| 5 | सीतामढ़ी | रुनीसैदपुर | SSB का कब्जा । |
| 6 | वैशाली | महनार | अनुमंडल पदाधिकारी का आवास । |
| 7 | पूर्वी चम्पारण | पिपराकोठी | कृषि विज्ञान केन्द्र |
| 8 | जमुई | चकाई, खैरा, जमूई | CRPF का कब्जा । |

नोट:- राज्य स्तर से जिला पदाधिकारी को अबैध कब्जा मुक्त कराने हेतु निदेश दिया गया है।

~~ई—किसान भवन जाँच हेतु जाँच दल का गठन प्रतिवेदन :-~~

सभी 38 जिलों में ई—किसान भवन की जाँच हेतु जाँच दल का गठन किया जा चुका है।

मात्र जिला कृषि पदाधिकारी, नालन्दा, जहानाबाद, सीतामढ़ी एवं बांका से आंशिक रूप से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जिला कृषि पदाधिकारी, भोजपुर द्वारा सभी प्रखण्डों में जाँच कर प्रतिवेदन भेजा गया है।

~~ई-किसान भवन अंकेक्षण आपत्ति का अनुपालन प्रतिवेदन :-~~

नालन्दा, भोजपुर, बक्सर, नवादा, अरवल, गोपालगंज,
शिवहर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा, भागलपुर, बौंका,
मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णियाँ एवं शेखपुरा से
पत्रांक 686 दिनांक 04.12.2015, 286 दिनांक
16.03.2016 एवं पत्रांक 632 दिनांक 02.06.2016 द्वारा
अंकेक्षण का अनुपालन प्रतिवेदन शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु
अनुरोध किया गया था।

वर्ष 2008–09 से 2010–11 तक ई–किसान भवन के निर्माण मद में उपलब्ध करायी गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण प्रत्र/व्यय प्रतिवेदन के सम्बन्ध में।

जिला कृषि पदाधिकारी, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, दरभंगा एवं अरवल से उपयोगिता प्रमाण प्रत्र/व्यय प्रतिवेदन अप्राप्त है। जबकि इस सम्बन्ध में अनेको स्मार दिए जा चुके हैं।

ई-किसान भवन निर्माण हेतु योजना एवं विकास को उपलब्ध करायी गई राशि
एवं व्यय की गयी राशि का वर्षवार ब्योरा :-

दिनांक 13.02.2017

(राशि लाख में)

| क्र.सं. | वर्ष | आवंटित राशि | व्यय की गयी राशि | शेष राशि | अभ्युक्ति |
|---------|---------|-------------|------------------|----------|--------------|
| 1 | 2013-14 | 3295.00 | 552.35 | 2742.65 | प्रत्यापूर्त |
| 2 | 2014-15 | 6067.96 | 3551.63 | 2516.33 | प्रत्यापूर्त |
| 3 | 2015-16 | 3464.02 | 3396.76 | 67.26 | |
| 4 | 2016-17 | 6879.09 | 4019.63 | 2859.46 | |

संयुक्त कृषि भवन

Dated **15.02.2017**

वित्तीय वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 की उपलब्धि से संबंधित प्रतिवेदन :- राशि (करोड़ रुपये में)

संयुक्त कृषि भवन मीठापुर को पटना जिला में अवस्थित मुख्यालय स्तर के सभी विभागीय कार्यालयों के लिए संयुक्त कृषि भवन के रूप में प्रयुक्त किया जायेगा। जिसमें प्रमण्डलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) एवं जिला कृषि कार्यालय सहित कृषि विभाग के अधीनस्थ सभी कार्यालय अवस्थित होंगे। यह योजना **105.65 करोड़ रुपये** का है। भवन का कार्यारम्भ दिनांक 09.07.2013 से तीन वर्षों का अर्थात् दिनांक 08.07.2016 तक पूर्ण होने की योजना थी। भवन का निर्माण कार्य बन्द रहने के कारण वित्तीय वर्ष 2015–16 का लक्ष्य 2016–17 में हो गया है। कार्य पूर्ण करने के लिए अवधि दिनांक 08.03.2019 तक विस्तार की कार्रवाई की गई है। जिसमें अब तक 33.48 करोड़ रुपये निर्माण एजेंसी आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार को दिया जा चुका है। जिसके विरुद्ध कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा 10.19 करोड़ रुपये का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। कार्य तेजी से चल रहा है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 की उपलब्धि से संबंधित प्रतिवेदन :— राशि (लाख रूपये में)

जिला एवं प्रमण्डल स्तरीय संयुक्त कृषि भवन को जिला एवं प्रमण्डल स्तर पर संयुक्त कृषि भवन के रूप में प्रयुक्त किया जायेगा। जिसमें जिला कृषि कार्यालय के अतिरिक्त प्रमण्डलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) एवं जिला मुख्यालय स्तर पर अवस्थित कृषि विभाग के अधीनस्थ सभी कार्यालय अवस्थित होंगे। यह योजना ज्यारह जिला एवं तीन प्रमण्डल में कुल प्राक्कलित राशि 6863.36 लाख रूपये की है। दिनांक 26.12.2016 को यह योजना प्राधिकृत समिति से स्वीकृत हो चुका है। इस योजना का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 में होना है। जिसे निम्न प्रकार किया जाना है :—

| क्र. सं. | भवन का प्रकार | वर्ष 2015–16 की उपलब्धता | | लक्ष्य वर्ष 2016–17 | | लक्ष्य वर्ष 2017–18 | | अभ्युक्ति |
|----------|------------------------------------|--------------------------------|---------|------------------------|---------|------------------------|---------|-----------|
| | | भौतिक | वित्तीय | भौतिक | वित्तीय | भौतिक | वित्तीय | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | जिला स्तरीय संयुक्त कृषि भवन | शून्य | शून्य | 6 | 2745.36 | 8 | 4118.00 | |

धन्यवाद
